

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या...02 /2020

तहसीलदार शाहपुरा

बनाम

गोवर्धन वगैरह

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 5.2.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक आरए/20/ 12 दिनांक 16.01.2020 ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 3867/1 रकबा 1.75 है० में से 0.0336 है०, ख०नं० 3870/4 रकबा 1.23 है० में से 0.0216 है० ख०नं० 3869/1 रकबा 2.14 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3868 रकबा 2.34 है० में से 0.0488 है०, ख०नं० 3870/2 रकबा 1.23 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3891 रकबा 4.11 है० में से 0.0480 है०, ख०नं० 3866/1 रकबा 2.20 है० में से 0.0448 है०, ख०नं० 3869/2 रकबा 0.30 है० में से 0.0236 है०, खातेदारी भूमि में तथा ख०नं० 3865 रकबा 1.73 है० में से 0.0416 है० व ख०नं० 3867/2 रकबा 0.12 है० सम्पूर्ण भूमि मौके पर कच्चा रास्ते के रूप में काम आने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्टर के तहत पेश किया गया। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के आधार प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहे, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थीगण को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर कच्चा रास्ता चालू है। संलग्न प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के कॉलम सं० 16 में रास्ता लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है, साथ ही तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत खोरालाडखानी ने रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है। अतः ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 3867/1 रकबा 1.75 है० में से 0.0336 है०, ख०नं० 3870/4 रकबा 1.23 है० में से 0.0216 है० ख०नं० 3869/1 रकबा 2.14 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3868 रकबा 2.34 है० में से 0.0488 है०, ख०नं० 3870/2 रकबा 1.23 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3891 रकबा 4.11 है० में से 0.0480 है०, ख०नं० 3866/1 रकबा 2.20 है० में से 0.0448 है०, ख०नं० 3869/2 रकबा 0.30 है० में से 0.0236 है०, खातेदारी भूमि में तथा ख०नं० 3865 रकबा 1.73 है० में से 0.0416 है० व ख०नं० 3867/2 रकबा 0.12 है० सम्पूर्ण भूमि हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 3867/1 रकबा 1.75 है० में से 0.0336 है०, ख०नं० 3870/4 रकबा 1.23 है० में से 0.0216 है० ख०नं० 3869/1 रकबा 2.14 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3868 रकबा 2.34 है० में से 0.0488 है०, ख०नं० 3870/2 रकबा 1.23 है० में से 0.0224 है०, ख०नं० 3891 रकबा 4.11 है० में से 0.0480 है०, ख०नं० 3866/1 रकबा 2.20 है० में से 0.0448 है०, ख०नं० 3869/2 रकबा 0.30 है० में से 0.0236 है०, खातेदारी भूमि में तथा ख०नं० 3865 रकबा 1.73 है० में से 0.0416 है० व ख०नं० 3867/2 रकबा 0.12 है० सम्पूर्ण भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को सरै इजलास सुनाया गया

(नरिन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर